रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)- 72

REGISTERED No. D. (D.N.)

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1986/कार्तिक 24, 1908

**No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1986/KARTIKA 24, 1908**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1986

सा.का.नि.—973 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति) नियमावली, 1979 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति) संशोधन नियमावली, 1986 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति) नियमावली, 1979 के नियम 2 की धारा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:

"(ग) "भूतपूर्व सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित सेना, नौ सेना, वायु सेना में किसी भी रैंक में (चाहे योद्धा अथवा गैर योद्धा रूप में) सेवा की हो, परन्तु इसमें ऐसे व्यक्ति नहीं आते जिन्होंने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की हो; और

(1) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ/हुई हो; अथवा

(2) जिसे सैनिक सेवा के कारण डाक्टरी आधार पर अथवा उसके नियंत्रण से बाहर के हालातों के कारण ऐसी सैनिक-सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो और जिसे डाक्टरी अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन दी गई हो; और

(3) जिसे उसके अपने अनुरोध को छोड़कर, किसी अन्य कारण से संस्थापना में कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो; अथवा

(4) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उसके अपने अनुरोध को छोड़कर ऐसी सेवा से सेवामुक्त किया गया हो अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण सेवा से बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किया गया हो और जिसे कोई उपदान दिया गया हो, और इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं; अर्थात्:—

(1) निरन्तर अंगीभूत (एम्बाडीड) सेवा के पेंशनधारक;

(2) सैनिक सेवा के कारण निःशक्त हुए व्यक्ति; और

(3) वीरता पुरस्कार विजेता।



1042 GI/86—1

| 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|
| training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent. | bay—Chairman<br>2. Group 'A' Officer in subordinate office of Directorate General of Health Services other than Central Government Health Scheme—Member.<br>3. Administrative Officer—Member.<br>Departmental Promotion Committee for CGHS other than Bombay and Delhi.<br>1. Chief Medical Officer—Chairman<br>2. Group 'A' officer in Central Government Subordinate offices, preferably under the Directorate General of Health Services at the station (other than Central Government Health Scheme)—Member<br>3. Medical Officer Incharge of a Central Government Health Scheme Dispensary.—Member. | |

[No. A- 12018/38/85-RR-CGHSI/CGHS-P]

H.S. DHAKAALIA, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1002:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन महानिदेशालय में निदेशक (श्रोता अनुसंधान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन महानिदेशालय, निदेशक (श्रोता अनुसंधान) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| निदेशक (श्रोता अनुसंधान) दूरदर्शन | *1(1986)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय | 1500-60-1800 रु. | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति :<br>आकाशवाणी/दूरदर्शन में उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) रु. 1100—1600 जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—<br>अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष<br>सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य<br>महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य<br>(पुष्टि के संबन्ध में विचार करने के लिए)<br>समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति :<br>1. सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष<br>2. महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य<br>टिप्पण:— पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी। | पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[(संख्या 12016/1/86—बी (ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th November, 1986

G.S.R. 1002.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Audience Research) in the Directorate General, Doordarshan, under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General, Doordarshan, Director (Audience Research) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method fo recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this rgeard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of Posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Director (Audience Research) Doordarshan | 1* (1986) *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group 'A' Gazetted Non-ministerial. | Rs. 1500–60–1800. | Selection. |

| Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer grades from which promotion/deputation /transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| By Promotion | Promotion : Deputy Director (Audience Research) Rs. 1100..1600 in All India Radio/Doordarshan having 5 years' regular service in the grade. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary/Joint Secretary (Broadcasting) Ministry of Information and Broadcasting—Member. 3. Director General, Doordarshan —Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee: (for considering confirmation): 1. Secretary /Joint Secretary(Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Chairman. 2. Director General, Doordarshan —Member. Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary while selecting an officer for appointment to the post. |

[No. 12018/1/86-B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.